



भारत सरकार
कार्यालय
आयकर आयुक्त-द्वितीय
आयकर भवन
पावटा सी रोड, जोधपुर - 342010

फा.सं. 20/002

दिनांक : 09/09/2014

आवेदक का नाम एवं पता : सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान (PAN-AAJAS1741G), बडी खाटू तह.-जायल, जिला-नागौर, राजस्थान।
आदेश का तिथि व क्रमांक : 09/09/2014, 53/006

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अधीन आदेश

दिनांक 17/09/2012 को बनाई गई संस्था सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बडी खाटू तह.-जायल, जिला-नागौर, राजस्थान ने दिनांक 02/05/2014 को फार्म नं. 10ए में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

2. संस्था के उद्देश्य की प्रकृति धर्मार्थ है। अतः इस संस्था का निर्धारण वर्ष 2013-14 से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अधीन पंजीकरण किया जाता है। धारा 12ए के अधीन पंजीकरण हेतु इस कार्यालय में बनाए गए रजिस्टर में क्रम सं. 53/006 पर इस आवेदन को दर्ज किया गया है। इस न्यास/संस्था का पंजीकरण दिनांक 01/04/2014 से प्रभावी होगा।

इस संस्था का पंजीकरण निम्नलिखित शर्तों पर किया जाता है :-

- संस्था अपनी आय का संचयन अथवा अनुप्रयोग पूर्णतः तथा अनन्य रूप से उसी उद्देश्य के लिए करेगी, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है।
- यह आदेश इस संस्था को व्यापार/कारोबार की आय से हुए किसी प्रकार के फायदे अथवा लाभ पर लागू नहीं होगा जब तक कि यह व्यापार/कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक न हो तथा इस प्रकार के व्यापार/कारोबार के लिए अलग से लेखा-बहियाँ बनाई गई हों।
- संस्था आयकर अधिनियम, 1961 में दिए प्रावधानों के अनुरूप अपनी आयकर विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारियों के पास दाखिल करेगी।
- विघटन/भंग होने की स्थिति में, इसके अधिशेष तथा आस्तियाँ ऐसे ही उद्देश्यों वाली किसी अन्य संस्था को दे दी जाएंगी। इसका कोई भी भाग संस्था के किसी भी सदस्य को नहीं दिया जाएगा।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (5) में बताए गए किसी एक अथवा अधिक तरीकों के अतिरिक्त संस्था अपनी निधि को (स्वैच्छिक रूप से प्राप्त अंशदान तथा आभूषणों तथा फर्नीचर के रूप में रखे गए सामान के अतिरिक्त) किसी भी अवधि के लिए कहीं भी निवेश अथवा जमा नहीं करेगी।

-ह.-

(ओ.पी. मीना)

आयकर आयुक्त-द्वितीय,
जोधपुर

क्रमांक:आ.आ.-द्वितीय/जोध./2014-15/1069

दिनांक:-09/09/2014

प्रतिलिपि:-

- सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बडी खाटू तह.-जायल, जिला-नागौर, राजस्थान।
- श्रीमान् आयकर संयुक्त आयुक्त, रेंज-नागौर।
- श्रीमान् आयकर अधिकारी, वार्ड-1, नागौर। धारा 12ए(3) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार आयकर आयुक्त उपरोक्त पंजीकरण को कभी भी रद्द कर सकते हैं। निर्धारण अधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वे निर्धारिती की वार्षिक विवरणी की ध्यानपूर्वक जांच करें तथा इन्हें सत्यापित कर लें। अब आगे से निर्धारिती द्वारा ये आयकर विवरणी के साथ जमा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 तथा 12 में दी गई शर्तों तथा इस संबंध में के.प्र.कर बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को पालन करती है।

(प्रमोद एम. कर्वे)

सहायक आयकर आयुक्त (मुख्या.)
कृते आयकर आयुक्त-द्वितीय, जोधपुर

अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बडीखाटू (नागौर)



भारत सरकार
कार्यालय
आयकर आयुक्त-द्वितीय
आयकर भवन
पावटा सी रोड, जोधपुर - 342010

फा.सं. 20/002

दिनांक : 11/09/2014

आवेदक का नाम एवं पता : सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान (PAN-AAJAS1741C), बडी खाटू तह.-जायल, जिला-नागौर,
राजस्थान।

आदेश की तिथि व क्रमांक : 11/09/2014, 43/255

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी के अधीन आदेश

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बडी खाटू तह.-जायल, जिला-नागौर, राजस्थान को दिया गया दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी के अधीन निर्धारित सीमाओं और शर्तों के अनुसार दानकर्ता के लिए कटौती का पात्र होगा। यह छूट दिनांक 02/05/2014 से मान्य होगी।

यह अनुमोदन निरंतर अगले आदेशों तक वैध रहेगा। परन्तु यदि भविष्य में कभी भी आयकर आयुक्त इस बात से संतुष्ट होते हैं कि इस संस्था की गतिविधियाँ ठीक नहीं हैं अथवा संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं हैं अथवा आयकर अधिनियम के इससे संबंधित प्रावधानों में कोई परिवर्तन हो गया है, तो इस संस्था को दिए गए अनुमोदन को वापस लेने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

-ह.-

(ओ. पी. मीना)

आयकर आयुक्त-द्वितीय,
जोधपुर

नोट :-1. लेखा विवरणियाँ, प्राप्तियाँ तथा खर्च और तुलन पत्र प्रति वर्ष आयकर अधिकारी, वार्ड-1, नागौर को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2. संघटन में यदि कोई बदलाव किया गया है तो इसकी सूचना तुरंत इस कार्यालय को दी जाए।

क्रमांक:आ.आ.-द्वितीय/जोध./2014-15/1106

दिनांक:-11/09/2014

प्रतिलिपि:-

- सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बडी खाटू तह.-जायल, जिला-नागौर, राजस्थान।
- श्रीमान् आयकर संयुक्त आयुक्त, रेंज-नागौर।
- श्रीमान् आयकर अधिकारी, वार्ड-1, नागौर। धारा 12ए(3) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार आयकर आयुक्त उपरोक्त पंजीकरण को कभी भी रद्द कर सकते हैं। निर्धारण अधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वे निर्धारिती की वार्षिक विवरणी की ध्यानपूर्वक जांच करें तथा इन्हें सत्यापित कर लें। अब आगे से निर्धारिती द्वारा ये आयकर विवरणी के साथ जमा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 तथा 12 में दी गई शर्तों तथा इस संबंध में के.प्र.कर बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को पूरा करती है।

(प्रमोद एम. कर्वे)

सहायक आयकर आयुक्त (मुख्या.)
कृते आयकर आयुक्त-द्वितीय, जोधपुर


सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बडीखाटू (नागौर)

संस्था का नाम- सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाटू
पंजीयन क्रमांक-78/नागौर/2012-2013

दिनांक-17.09.2012

नव निर्वाचित कार्यकारिणी की सूची दिनांक-15.12.2019

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पद
1	संत श्री नानकदास	चेला श्री महंत देवीदास जी	अध्यक्ष
2	श्री देवीलाल	पुत्र श्री मदनलाल	उपाध्यक्ष
3	श्री सुरेश मेघवाल	पुत्र श्री मदनलाल	कोषाध्यक्ष
4	श्री वेद प्रकाश गौड़	पुत्र श्री बिहारीलाल गौड़	सचिव
5	श्रीमती बूलकी देवी	पत्नी श्री मेघाराम	संचालक सदस्य
6	श्री बलदेवराम चौधरी	पुत्र श्री जेठाराम चौधरी	संचालक सदस्य
7	श्री सुखदेव चौयल	पुत्र श्री गणपतराम चौयल	संचालक सदस्य



अध्यक्ष



सचिव



कोषाध्यक्ष

[Signature]
चुनाव अधिकारी

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाटू

[Signature]
अध्यक्ष

[Signature]
सचिव/मंत्री

[Signature]
कोषाध्यक्ष

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाटू

राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के संबंध में प्रस्तुत किये गए पत्र, जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 161 से 170 तक उपलब्ध है, की प्रमाणित प्रति हैं।

प्रमाणित प्रति देने की दिनांक 20-12-2019

[Signature]
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

[Signature]
05/05/2021

अध्यक्ष

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखाटू (नागौर)

[Signature]
रजिस्ट्रार, संस्थाएं नागौर

144

संस्था का नाम सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ीखाटू
रजि.कमांक-78/नागौर/2012-13

दिनांक-17.09.2012

संस्था की आम सभा दिनांक-26.08.2019 में लिये गये संशोधन प्रस्ताव का
तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है

क. सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान	संशोधित विधान
1	11	कार्यकारिणी का गठन:- संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:- 1. अध्यक्ष-1 2. उपाध्यक्ष-1, 3 सचिव-1, 4. उप सचिव-1, 5. कोषाध्यक्ष-1, 6. सदस्य-10 इस प्रकार प्रबन्ध कार्यकारिणी में 5 पदाधिकारी व 10 सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे।	कार्यकारिणी का गठन:- संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:- 1 अध्यक्ष-1 2 उपाध्यक्ष-1, 3 सचिव-1, 4 कोषाध्यक्ष-1, 5 सदस्य-03 इस प्रकार प्रबन्ध कार्यकारिणी में 4 पदाधिकारी व 03 सदस्य कुल 07 सदस्य होंगे।

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ी खाटू (नागौर)

Vedprakash Banar
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान,
बड़ी खाटू (नागौर)
मंत्री

कोषाध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान,
बड़ी खाटू (नागौर)

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-
1. अध्यक्ष-1 2. उपाध्यक्ष-1,
3 सचिव-1, 4. उप सचिव-1,
5. कोषाध्यक्ष-1, 6. सदस्य-10
इस प्रकार प्रबन्ध कार्यकारिणी में 5 पदाधिकारी व 10 सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे।

प्रमाणित प्रतिलिपि की दिनांक 01-10-2019
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार, संस्थाएं नागौर

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखाटू (नागौर)

कार्यालय उपा. रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नागौर

क्रमांक/संस्था/रजि./नागौर/3586

दिनांक 17-9-12

श्री संत नानकदास चैला श्री मंदन देवीदास

अध्यक्ष

सतगुरु कवीर आश्रम सेवा संस्थान वडीखादू

विषय:- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के सम्बंध में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या 78 /नागौर/2012-2013 दिनांक 17-9-2012 संलग्न है जिसकी प्राप्ति सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4(क) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रति वर्ष आमसभा के 14 दिवस में निम्न लिखित सूचनाएं भेजना अनिवार्य हैं।

1. संस्था के मामलों का प्रबंध जिसको सौंपा गया है, उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकायों के शासकों, संचालकों, न्यासियों के नाम, पते, पैसे की सूचना मय पद भिजवायें।
2. एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि वर्ष, जिस वर्ष की सूची है, के दौरान हुए समस्त परिवर्तन को दिखाया गया हो।
3. संस्था के नियमों एवं विनियमों की एक तारीख सहित सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासों, या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की गई हो ऐसा परिवर्तन करने की अवधि से 15 दिन के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय को पहुँच जानी चाहिये।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4(क) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दशा में ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें की ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध होने के पश्चात् वृत्ति जारी रहती है, पचास रूपये से अधिक नहीं। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधिन प्रस्तुत की गई सूची में या धारा 4 के अधिन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों की या उनके किये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है या करवाता है। तो अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो 2000रूपये तक का हो सकता है।

नोट:- इस कार्यालय में भविष्य में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं वर्ष अंकित करें।

संलग्न:- प्रमाण पत्र

17/09/2012
05/09/2012
अध्यक्ष
सतगुरु कवीर आश्रम सेवा संस्थान
वडीखादू (नागौर)

रजिस्ट्रार संस्थाएं
सहकारी समितियां नागौर

कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नागौर
क्रमांक- 3585

दिनांक- 13-9-12


श्री. संत गानकदास जेला श्री गंडर् देवीदास

अध्यक्ष

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ीखाट्ट

विषय-प्रस्तावित संस्था / समिति सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ीखाट्ट

विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त संस्था का पंजीयन कराने हेतु सात दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर चालान द्वारा पंजीयन शुल्क राशि 10000.00 रुपये जमा करवाने की व्यवस्था करे ताकि संस्था के पंजीयन की कार्यवाही की जा सके।


उप रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, नागौर


अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखाट्ट (नागौर)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

Date दिनांक

85
13-9-2012

CASH CHALLAN

रकम जमा कराने का चालान

Name and Signature of person tendering the amount रकम जमा कराने वाले का नाम व हस्ताक्षर	Name and Signature of person on whose behalf money is paid जिसकी तरफ से रकम जमा कराई जावे, उसका नाम व हस्ताक्षर	Full particulars of remittance and of authority पूर्ण विवरण रकम व जमा का	Complete classification पूर्ण वर्गीकरण		Accounts officer by whom adjustable	Amount रकम	
			Major and Minor Head मुख्य एवं लघु शीर्षक	Detailed head विस्तृत शीर्षक		Rs.	P
<p>रजिस्ट्रार संस्थान जयपुर</p>	<p>राजस्थान आरक्षण संरक्षणी समितियां, जयपुर</p>	<p>सतगुरु कवीर आश्रम सेवा संस्थान (पंजीयन फीस)</p>	<p>0425-सहकारिता 800-अन्य प्राप्तियां (ii)-अन्य विविध प्राप्तियां</p>			10000/-	
			<p>रजिस्ट्रार संस्थान</p>			10000/-	

0425-सहकारिता
800-अन्य प्राप्तियां
(ii)-अन्य विविध प्राप्तियां

13 SEP 2012

10000/-

0000/-

Amount (in words) Rupees एक लाख रुपये मात्र

रकम (शब्दों में)

Note :- Full accounts classification including detailed head must be recorded in this challan on the space provided for the purpose.

टिप्पणी :- इस चालान में प्रयुक्त स्थान पर लेखे का पूर्ण विवरण मय विस्तृत मदों के लिखना चाहिए।

16/09/2012
05/09/2012
अध्यक्ष
सतगुरु कवीर आश्रम सेवा संस्थान
वहीवाट (जयपुर)

INCOME TAX PAN SERVICES UNIT

(Managed by National Securities Depository Limited)
3rd Floor, Sapphire Chambers, Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411 045.

F. No. DIT(S)/PAN/ITMN_REG



The Income Tax Department takes pleasure in informing that the Permanent Account Number (PAN) allotted to you is :

AAJAS1741G

and the PAN card is enclosed herewith. For filing the return of income, please contact :

ITO, WARD-2, NAGOUR

We wish to inform you that quoting of PAN on return of income and challans for payment of taxes is necessary to ensure accurate credit of taxes paid by you and faster processing of return of income. Please quote PAN in all communications with department as it helps to improve taxpayer services.

We may inform that it is **mandatory to quote PAN** in several transactions specified under the Income Tax Act, 1961. For details of such transactions, reference is invited to rule 114B of the Income Tax Rules, 1962 read with section 139 A of the Income Tax Act, 1961.

In the unlikely event of **more than one PAN being allotted**, this fact should be brought to the notice of your Assessing Officer, as **possessing or using more than one PAN is against the law** and may attract **penalty of upto Rs. 10,000/-**.

Any error in the data printed on your PAN Card may be brought to the notice of IT PAN Services Unit at the address given above, or on the reverse of the PAN Card.

Income Tax Department maintains a website - www.incometaxindia.gov.in and Aayakar Sampark Kendra (Phone - 1800 - 180 - 1961) for providing information and services to citizens. This site contains detailed information on PAN also.

Income Tax Department

PKG ID: PRC / 00100 / 09042013_01 / PST



RJN / 550 / 713503002986641171 / 89538796

SATGURU KABIR ASHARAM SEVA SANSTHAN BADI KHATU

SATGURU KABIR ASHARAM, SEVA SANSTHAN BADI KHATU,
NAGOUR, NAGOUR,
RAJASTHAN - 341021
TEL NO.: 91 - 9983461251


05/09/2013
अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखाटू (नागौर)



SBI-BADI KHATU CODE-32403 T.PH.01583-249009 Email-sbi.32403@sbi.co.in

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that **SATGURU KABIR ASHARAM SEVA SANSTHAN** was maintaing a saving account no-33394139267 since 22 Oct 2013 with SBI Bank . After receiving the request from the account holder the saving account was closed and new current account is opened on 22 Oct 2019 .Details of the current account is as under:-

Current Account No-38863679566

Address: Chhapari ki Dungari, Sant Kabir Nagar, Badikhatu Disttrct-Nagaur

Name Of Branch- SBI BADIKHATU, IFSC CODE-SBIN0032403

Address of Branch_Purohiton ka Mohalla, vill- Badikhatu, Distt-Nagaur, PIN-341301, Rajasthan.

This certificate is issued at the specific request of the account holder and without any risk of responsibility on part of the Bank or the official signing it.

Regards,

Branch Manager

Place- Badikhatu



(Handwritten Signature)
02/05/2021
अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बडीखाटू (नागौर)



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

Chhoti Khatu (12899)
Dist. Nagaur-341302
Rajasthan
MO-9001297556

01580-270100 Fax: 01580-270099; e-Mail: sbi.12899@sbi.co.in

Dated: 10.12.2018

satguru kabir asharam seva sansthan
Badi khatu Tehsil- jayal
nagour

Sub-Fund credit capacity of the account

As per request received from you about credit capacity of the your saving account which is maintained by you . It is certify that in your saving account you can transfer fund as you can subject to cash withdrawal limit of only two lac.

Yours faithfully,

For STATE BANK OF INDIA

Branch Manager

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखादू (नागौर)
अध्यक्ष
05/05/2021

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

बड़ी खादू

संघ विधान-पत्र

- 1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम सतगुरु कबीर आश्रम सेवा समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व बड़ी खादू
- 2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम बड़ी खादू तथा कार्यक्षेत्र:- ता. आश्रम जि. नागौर तथा इसका कार्यक्षेत्र नागौर जिला क्षेत्र तक सीमित
- 3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- 1. धर्म निष्पेक्षता का जनहित में और जन कल्याण का कार्य
- 2. सतगुरु कबीर साहेब के आदर्श विचारों एवं शिक्षाओं का समाज हितार्थ प्रसारण कर फुरितीयों को दूर करना
- 3. अशुद्ध खास-पाव, बुरी ली वस्तुओं का सेवन से रोकना
- 4. व उपदेश के माध्यम से छुड़वाना
- 5. निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4

अध्यक्ष

पाराम मंत्री

05/05/2021
 अध्यक्ष
 सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
 बड़ीखादू (नागौर)

7. 5 स्थानीय स्तर पर से आयु हरे से तो-साधकों और
8. भक्तों को आवास भोजन उपलब्ध करवाना L
9. 6 वृक्षारोपण, पर्यावरण, जल संरक्षण पर लालकैलासी
10. खुदवासी करवाना L
11. 7 अन्न क्षेत्र खुलवाना एवं गरीबों के लिए भोजन व
12. कपड़ों की व्यवस्था करवाना L
13. 8 अनाथालय व सुकृष्ण खुलवाना L
14. 9 सतगुरु कबीर जयन्ती, समाजिक प्रकाशन, प्रबन्ध
15. करी, व सत्यग का आयोजन करवाना L
10. ध्यान, योग, सुमरण योग, शिव्य सुरती योग
11. विश्व शान्ती यज्ञ करवाना L

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

5

अध्यक्ष

अध्यक्ष

3 माराप
मन्त्री

कोषाध्यक्ष

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखादू (नागौर)
05/05/2021
अध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	प
1.	संत नानक दास पेला श्री मंहर देवदासजी	पाठशाला	ग्राम बड़ीखाद	अध
2.	तुलसीराम हेडा पुत्र श्री रामकिशन हेडा	दुकान	ग्राम बड़ीखाद	उपा
3.	संत दयाराम पेला श्री मंहर नानक दास	पाठशाला	ग्राम बड़ीखाद	सं
4.	भागीरथ अशुवाल श्री श्यामलु	दुकान	ग्राम छोटीखाद	सं उप
5.	हनुमान राम बालुवाल श्री देवासम बालुवाल	नौकरी	ग्राम बड़ीखाद	सं
6.	ओम प्रकाश रिणवा श्री हेमाराम रिणवा	कृषि	ग्राम घीपपुरा (बड़ीखाद)	सं
7.	रामावतार जाजू श्री राजाराम जाजू	दुकान	ग्राम बड़ीखाद	सं सं
8.	गजराज केताला श्री छगनराम केताला	दुकान	ग्राम छोटीखाद	सं
9.	गिरधारी सिंह श्री मदनसिंह	कृषि	ग्राम बड़ीखाद	सं

संत नानक दास
अध्यक्ष

दयाराम
मन्त्री

हनुमान

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
(नागौर) बड़ीखाद

संत नानक दास
05/05/2021
अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखाद (नागौर)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.	मंवर सिंह श्री श्री सिंह	इकान	आश्रम कोनियाडा (छोटीखादू)	सदस्य
11.	प्रभुराम श्री बावनाराम	कृषि	आश्रम कुतियासनी (किरोदा)	सदस्य
12.	मनोज दुडा श्री बालुराम	कृषि	आश्रम खड्कवाली (गुडा भगवानकवा)	सदस्य
13.	केलाशचन्द श्री मदनलाल	कृषि	आश्रम बडीखादू (बडीखादू)	सदस्य
14.	खिखमाराम श्री किशनाराम	कृषि	आश्रम बडीखादू (बडीखादू)	सदस्य
15.	संमेश शर्मा श्री श्रीराम शर्मा	दुकान	आश्रम बडीखादू	सदस्य

7

निर्वाहक अध्यक्ष

उपाराम मंत्री

कोषाध्यक्ष

निर्वाहक अध्यक्ष
अध्यक्ष 05/05/2021
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बडीखादू (नागौर)

संतानामिका
(अध्यक्ष)

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पर के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	संत नानक दास पेला श्रीमंहत देवके दास	पाठ-पूजा	जाम बड़ीखादू	Handwritten signature
2.	बुलसी राम हेडा पुत्र श्री रामाचिशन	दुकान	जाम बड़ीखादू	Handwritten signature
3.	संत दया राम पेला श्रीमंहत नानकदास	पाठ-पूजा	जाम बड़ीखादू	उपाराम
4.	भागीरथ श्री श्याम सुन्दर	दुकान	जाम छोटीखादू	भागीरथ
5.	हेनुमान सिंह श्री देव राम दास	नौकर	जाम बड़ीखादू	Handwritten signature
6.	ओमप्रकाश शिवा श्री हेमाराव	कृषि	जाम धीजपुरा (बड़ीखादू)	Handwritten signature
7.	रामावतार जाजू श्री राजाराम	दुकान	जाम बड़ीखादू	राज
8.	गजराज केताला श्री दृगनराम	दुकान	जाम छोटीखादू	गजराज
9.	गिरधारी सिंह श्री मदन सिंह	कृषि	जाम बड़ीखादू	Handwritten signature

8

संतानामिका
अध्यक्ष

उपाराम
मन्त्री

Handwritten signature
कोषाध्यक्ष

संतानामिका
अध्यक्ष

संतानामिका
05/05/2021
अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखादू (नागौर)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	भंवर सिंह श्री इन्द्र सिंह	दुकान	कोनिथाडा (बड़ीखाड़ा)	
11.	प्रभुराम श्री वावनाराम	कृषि	कुतियावनी (किरोदा)	
12.	मनोज दुडा श्री बालराम	कृषि	श्री खाली (गुडा अगवासी)	
13.	कैलाशचन्द्र श्री मदनलाल	कृषि	श्री मदनलाल (बड़ीखाड़ा)	
14.	लिखमाराम श्री किशनाराम	कृषि	श्री लिखमाराम (बड़ीखाड़ा)	
15.	रमेश शर्मा श्री लखाराम शर्मा	दुकान	श्री लखाराम	
16.				
17.				
18.				

(नरेंद्र कुमार शर्मा)
अध्यक्ष

जयशंकर
मन्त्री

कोषाध्यक्ष

(नरेंद्र कुमार शर्मा)
05/05/2021
अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखाड़ा (नागौर)

हस्ता का पंजीयन क्रमांक 78/नागौर/2012-2013

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खादू

क्र.	नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.	सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खादू			
38.	रजिस्ट्रार संस्थाएं नागौर			
39.				
40.				

12/08/2013
(अध्यक्ष)

सत्य प्रतिज्ञा
रजिस्ट्रार संस्थाएं, नागौर

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उम्मीदवार हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर प्रस्तुत किए हैं हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।



(साक्षी)
1. हस्ताक्षर
नागौर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ी खादू (राज.)
341301
(दिरावा इलाका)

(साक्षी)
2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ी खादू
341301
(दिरावा इलाका)

नोट : शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करना होगा।

निर्वाहक
अध्यक्ष

Identified by
निर्वाहक राह

राम मंत्री
ATTESTED
12/08/2013
(R.S. SANGWA)
DIST. CENTRAL NOTARY
NAGOUR

कोषाध्यक्ष

12/08/2013
अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ी खादू (नागौर)

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था
बड़ीखाद

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम सतगुरु कबीर आश्रम सेवा समिति बड़ीखाद समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम बड़ीखाद तथा कार्यक्षेत्र:- तं जामल जि. नागौर है तथा इसका कार्यक्षेत्र नागौर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. धर्म निष्पक्षता का जनहित और जन कल्याण का कार्य करना।
2. सतगुरु कबीर साध्वे कि आदर्श विमर्श एवं शिक्षाओं का समाज हित में प्रचार प्रसारण कर, कुरितीयों को दूर करना।
3. अशुद्ध खान-पान, नशीली वस्तुओं का सेवन सतसंग व उपदेश के माध्यम से दूर करना।
4. नि:शुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाना।
5. श्यामिय एवं बधर से ग्रथि हुए लोगों को और भक्तों को आवास भोजन उपलब्ध करवाना।
6. वृक्षाशेषा पर्यावरण जल संरक्षण कर तालाबों की खुदवाई करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखाद (नागौर)

7. अन्नक्षेत्र खुलवाना एवं गरीबों के लिए भोजन वरुपेक्षा
की व्यवस्था करना।

8. अनायास, मुकद्दत खुलवाना।

9. सतगुरु कबीर जयन्ति, समारोह पुष्पाशन, पुभातकेरी
व सातसंग का आयोजन करना।

10. ध्यान भोग, सुमख भोग, शकद सुरती भोग, सिराज
व करवाना।

11. विश्व शान्ति प्रज्ञ करवाना

12.

13.

14.

15.



उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

सि. वा. का. १०१
अध्यक्ष

दु. प्र. रा. म.
मंत्री

कोषी

सि. वा. का. १०१
05/05/2021
अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखादू (नागौर)

सि. वा. का. १०१
अध्यक्ष

4. सदस्यता :-

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-

- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
- 2- बालिग हों।
- 3- पागल, दीवालिये न हों।
- 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
- 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :-

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- 1-संरक्षक
- 2-विशिष्ट
- 3-सम्माननीय
- 4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे कोट्टे होलिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :-

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

- 1-संरक्षक राशि... 2000/-... वार्षिक/आजन्म
- 2-विशिष्ट राशि... 1000/-... वार्षिक/आजन्म
- 3-सम्माननीय राशि... 500/-... वार्षिक
- 4-साधारण राशि... 100/-... वार्षिक

उक्त राशि एक मुस्त अथवा रु. 1500/-... की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :-

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- 1-मृत्यु होने पर
- 2-त्याग-पत्र देने पर
- 3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखाट्ट (नागौर)

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:- संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :- साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्तन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लाना होगा।)

10. साधारण सभा की बैठकें :-

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

16

सिद्धान्त ३१५
अध्यक्ष

दुपाराम
मंत्री

कोषाध्यक्ष

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखादू (नागौर)
अध्यक्ष

11. कार्यकारिणी का गठन :-

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक
2. उपाध्यक्ष-एक
3. मन्त्री-एक
4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-सात। ० दस 6- उपभोगी- एक

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

सतगुरु कबीर
(अध्यक्ष)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ०३५ पांच पदाधिकारी व १० दस सदस्य कुल १५ सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

सतगुरु कबीर
(अध्यक्ष)

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

सतगुरु कबीर
अध्यक्ष

दयाराम
मन्त्री

सतगुरु कबीर
कोषाध्यक्ष

सतगुरु कबीर
अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखाट्ट (नागौर)

14. कार्यकारिणी की बैठकें :- 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती हैं।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :- संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-



1- बैठक की अध्यक्षता करना।

2- मत बरतने आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मंत्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

18

संस्था की प्रबन्धकारिणी
अध्यक्ष

संस्था की प्रबन्धकारिणी
मंत्री

संस्था की प्रबन्धकारिणी
कोषाध्यक्ष

संस्था की प्रबन्धकारिणी
अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखादू (नागौर)

- 3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
 - 4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
 - 5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था को ओर से हस्ताक्षर करना।
 - 6- पत्र व्यवहार करना।
 - 7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।
- 4-उपमंत्री :
- 1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
 - 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।
- 5-कोषाध्यक्ष :
- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
 - 2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
 - 3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
 - 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।
16. संस्था का कोष :-
- संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-
- 1- चन्दा
 - 2- शुल्क
 - 3- अनुदान
 - 4- सहायता
 - 5- राजकीय अनुदान
- 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायगी।
 - 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

HTG/20/21/6
अध्यक्ष

दुपाराम
मन्त्री

कोषाध्यक्ष

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखादू (नागौर)

संस्था का पंजीयन क्रमांक 78/नागौर/2012-2013

संस्था का नाम सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ीखाद

17. कोष सम्बन्धी विवरण संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक पुरत स्वीकृत कर सकेंगे :-
दिनांक 17-9-2012
1-अध्यक्ष 10,000/- रु.
2-मन्त्री 5,000/- रु.

रजिस्ट्रार संस्थान कोषाध्यक्ष 2,000/- रु.
नागौर

सत्य प्रतीति
2

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण रजिस्ट्रार संस्थान, नागौर संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थान को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समस्त उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थान की पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।



21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :- रजिस्ट्रार संस्थान, नागौर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ीखाद समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष

मन्त्री
20

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखाद (नागौर)



सत गुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान

बड़ी खाट, जिला-नागौर

क्रमांक-78/नागौर/2012

दिनांक 17/9/2012

तुलनात्मक स्टेटमेंट दिनांक 20/7/2012

तुलनात्मक स्टेटमेंट निम्नप्रकार से प्रस्तुत है -

क्र.स.	विधान की धारा	विधान का पुराना नियम	विधान का नया नियम
1	2	जिला स्तर नागौर	राज्य स्तर राजस्थान
2	3	1 से 11 तक यथावत रहेगा	

(तुलनात्मक स्टेटमेंट)

12. केंद्र सरकार राज्य सरकार के सांसद, राज्यसभा/लोक सभा सदस्य, सरपंच प्रधान, विधायक के कोटे से दिये जाने वाले अनुदान को संस्थान में कार्यकारी एजेंसी स्वयं बनकर निर्माण कार्य करवाएगी

13. जननी सुरक्षा कार्यक्रमों की जानकारी देना, कुपोषण उन्मूलन के कार्यक्रम चलाना, अनैतिक कार्यों को रोकना, परिवार नियोजन, स्वयं सहायता समूह का गठन करना, किसान समूह का गठन करना, जनसंख्या नियंत्रण इनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन करना, विभिन्न सरकारी आरोग्य केन्द्रों पर काउन्टर जानकारी देना।

सत्य प्रवाली
2/12
राजिस्ट्रार संस्थाएं, नागौर

Suresh
कोषाध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाट (नागौर)

§
सचिव
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाट (नागौर)

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ी खाट (नागौर)
अध्यक्ष
05/09/2012

11. विभिन्न विद्यालय व महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षा की सलाह देना, शिक्षा के अधिकारों की जानकारी देना एवं प्रवेश काउन्सलिंग करना हस्त शिल्प के कार्यक्रमों को बढ़ाना व संचालित करना तथा प्रशिक्षित करना।

15. संस्थान समय समय पर निरीह प्राणी, पशु पक्षी, संरक्षित पक्षी से सम्बंधित जानकारी देना एवं संरक्षित श्रेणी के पौध रोपण, वृक्ष संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, एवं व्यवसायिक वृक्षों के बारे में जानकारी देना, व्यवसायिक पौधों को जन सहयोग से वितरण करना, संरक्षित पेड़ पौधों की जानकारी देना एवं संरक्षण करना, हरियाली को बढ़ावा देना।

16. संस्थान समय पर प्रदूषण रोकना, प्रदूषण कैसे कम हो इसके सम्बन्ध में जागरूकता फैलाना, विभिन्न कल कारखानों के द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपाय बताना, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से उत्पन्न रोगों की जानकारी देना एवं निवारण से सम्बंधित कैंम्पो का आयोजन करना।

17. निर्धन वर्ग को निःशुल्क शिक्षा व रोजगार के सम्बन्ध में बताना, विधवा आश्रम, विशेष योग्यजनाश्रम आदि की स्थापना करना एवं इन्हें चलाना, शारीरिक पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति व आदिवासी वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु विकास करना, आदि की स्थापना करना एवं इस क्षेत्र में सहयोग करना एवं इन सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना तथा न्यायलयी प्रकरणों में काउंसलिंग कर आपसी सहमती से समझौता करवाना आदि।

18. श्रमिक उत्थान का कार्य करना, श्रमिकों को आर्थिक सहायता दिलवाना एवं विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना एवं इनको संचालित करना। संस्थान बेरोजगार युवक युवतियों को सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में

संस्थान प्रबन्धक
512
रजिस्ट्रार संस्थाएं, नागौर

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा
संस्थान, बड़ी खादू (नागौर)

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा
संस्थान, बड़ी खादू (नागौर)

अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखादू (नागौर)

अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ी खादू (नागौर)



- 19) रोजगार प्राप्त करने के लिए सहयोग व मदद करेगी । विभिन्न बैंको के द्वारा ऋण वसूली कार्यक्रमों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा जन मानस को मिलने वाली रोजगार प्रोत्साहन राशि, ऋण, वित्तीय अनुदान आदि में सहयोग करना व जानकारी देना । संस्थान ग्रामीण जन विकास व किसानों के विकास हेतु किसान क्लबों का गठन करना ।
- 20) गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियन्त्रण, एड्स सुरक्षा एवं जागरूकता, कुष्ठ रोग जागरूकता, रोग उन्मूलन कार्यक्रम करना एवं कैम्प लगाना तथा रोगों की जानकारी देना, नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाना व कैम्प आयोजित करना, वृद्धजनों को रोगों से बचने के बारे में बताना एवं अन्य रोग सुरक्षा हेतु उपाय बताना ।
- 21) युवको व महिलाओं को स्वरोजगार व आत्म निर्भरता के सम्बन्ध में कार्यक्रमों का संचालन करना, महिला सशक्तिकरण पर कार्य करना, स्वयं सहायता समूह का गठन करना, महिला रोग उन्मूलन के कार्यक्रम चलाना, जननी सुरक्षा कार्यक्रमों की जानकारी देना, कुपोषण उन्मूलन के कार्यक्रम चलाना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना एवं उससे सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, बाल विवाह को रोकना एवं इससे सम्बन्धित कुरृतियों के बारे में जागरूक करना, अनैतिक कार्यों का रोकना, हस्त शिल्प कार्यक्रमों को बढ़ाना व संचालित करना तथा प्रशिक्षित करना ।
- 22) संस्थान समय समय परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण इनसे संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना, विभिन्न सरकारी आरोग्य केंद्रों पर काउंटर जानकारी देना, विभिन्न विद्यालय वह महाविद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा की सलाह देना, शिक्षा के अधिकारों की जानकारी देना एवं प्रवेश काउंसलिंग कराना ।
- 23) संस्थान समय-समय पर निरीह प्राणी, पशु पक्षी, संरक्षित पक्षी से सम्बन्धित जानकारी देना एवं संरक्षित श्रेणी के पक्षियों का संरक्षण करना ।

निवेदन
अध्यक्ष

सत्य प्रतिलिपि
L12
रजिस्ट्रार संस्थाएं, नागौर

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाटू (नागौर)

अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाटू (नागौर)

अध्यक्ष
07/05/2021

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ीखाटू (नागौर)

अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खाटू (नागौर)

24. जल संरक्षण जल प्रबंधन जल स्रोतों के विकास कार्य वह कार्यशालाओं का आयोजन करना पीने योग्य जल का दुरुपयोग रोकना भूजल स्तर बढ़ाने से संबंधित कार्यों को बढ़ावा देना वर्षा जल संग्रहण के बारे में जन जागरूकता फैलाना एवं उससे संबंधित उपाय बताना एवं जन सहयोग से इसका क्रियान्वयन करना।

25. वृक्षारोपण वन संरक्षण पौधरोपण वृक्ष संरक्षण पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संतुलन से संबंधित कार्य करना एवं इनको बढ़ावा देना व्यवसायिक वृक्षों के बारे में जानकारी देना व्यवसायिक पौधों को जन सहयोग से वितरण करना संरक्षित पेड़ पौधों की जानकारी देना एवं संरक्षक करना हरियाली को बढ़ावा देना।

26. संस्थान का उद्देश्य निर्धन गरीब असहाय विधवा वृद्ध जन के सहायतार्थ कार्य करना विकलांगों वह बच्चों के विकास के लिए कार्य करना बाल मजदूरी रोकना मानव तस्करी जैसे कृतियों को रोकना इनके प्रति जन जागरूकता पैदा करना सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को उपरोक्त सभी कार्यों के लिए नियत मापदंडों के बारे में बताना बाल विकास बाल शिक्षा अन्य निर्धन वर्ग को निशुल्क शिक्षा रोजगार के संबंध में बताना विधवा आश्रम बाल आश्रम वर्धा आश्रम विशेष योग्यजन आश्रम अनाथालय आदि की स्थापना करना एवं इन्हें चलाना शारीरिक पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति वह आदिवासी वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु विकास कार्य करना, बाल बाड़ी शिशु गृह आदि की स्थापना करना एवं इस क्षेत्र में सहयोग करना एवं इन सभी को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना तथा न्यायालय प्रकरणों में काउंसलिंग कर आपसी सहमति से समझौता करवाना।

27. संस्थान अपने उद्देश्यों के अनुरूप व्यवसायिक तकनीकी औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना संचालित करना एवं इनसे संबंधित जानकारी देना श्रमिक उत्थान का कार्य करना श्रमिकों को आर्थिक सहायता दिलवाना एवं विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी श्रमिक



सत्य
कोषाध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा
संस्थान, बड़ी खाट, (नागौर)

सत्य
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा
संस्थान, बड़ी खाट, (नागौर)

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ी खाट, (नागौर)
05/05/2021
अध्यक्ष

सत्य
अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ी खाट, (नागौर)

कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना एवं इनको संचालित करना

28 . संस्थान समय-समय पर यातायात नियमों की जानकारी देना यातायात शिक्षा को बढ़ावा देना सड़क सुरक्षा के कार्यों का संचालन करना, चालक लाइसेंस एवं वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देना लाइसेंस कैंपों का आयोजन करना सड़क सुरक्षा व दुर्घटना में किए जाने वाले तवरित कार्यों के बारे में बताना। संस्थान बेरोजगार युवक-युवतियों को सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के बारे में रोजगार प्राप्त करने के लिए सहयोग में मदद करेगी इसी क्षेत्र में विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण वसूली कार्यक्रम में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेगी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा जनमानस को मिलने वाली रोजगार प्रोत्साहन राशि ऋणी वित्तीय अनुदान आदि में सहयोग करना में जानकारी देना।

29 . संस्थान ग्रामीण जन विकास हेतु उन्नत कृषि कार्यक्रमों का संचालन करना उन्नत कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना मुर्गी पालन गोपालन प्राकृतिक खाद उत्पादन के बारे में बताना सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना एवं इसके बारे में जागरूकता फैलाना प्राकृतिक वस्तुओं की उपयोगिता बताना एवं उनसे संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन करना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जैविक खाद की जानकारी देना मृदा उर्वरता के बारे में बताना समय-समय पर मृदा जांच कैंपों का आयोजन करना आर्थिक दृष्टि से पिछड़े किसानों को मुख्यधारा से जोड़ना तथा उन्नत कृषि व उन्नत कृषि संसाधनों की जानकारी देना।

30 . संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं अपने उद्देश्यों के संबंधित कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु समय-समय पर सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार केंद्र सरकार विभाग समाज कल्याण बोर्ड देशी संस्था, मंत्रालय, व्यक्तिगत दानदाता, एजेंसी, विदेशी संस्थान, जनप्रतिनिधि, जन सहयोगी, ट्रस्ट, बैंक, वित्तीय संस्था, गैर सरकारी संस्था, एन.आर.आई. व्यक्ति, नाबार्ड, कर्पाई, निराड, यूनिसेफ, काई

Handwritten signature

सत्य प्रवालोच
212
रजिस्ट्रार संस्थाएँ, नागौर

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खादू (नागौर)

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खादू (नागौर)

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खादू (नागौर)

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखादू (नागौर)

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान, बड़ी खादू (नागौर)

110



शिप्सा, अवाडे, हुडको, आर. एस. डी. पी. मानव संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं से सहयोग प्राप्त करेगी एवं इन सभी के द्वारा संचालित कार्यक्रमों में सहयोगी रहेगी इनके द्वारा प्रदत्त कार्यों का क्रियांवयन करेगी इन से संबंधित सभी कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करने में मदद करेगी एवं प्रदत्त कार्यक्रम का संचालन करेगी।

संस्थ प्रचालिका
212
रजिस्ट्रार संस्थाएं, नागौर

अध्यक्ष
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ी खाट (नागौर)

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा
बड़ी खाट (नागौर)

Superna
सतगुरु कबीर आश्रम सेवा
संस्थान, बड़ी खाट (नागौर)

उपरोक्त प्रेरणा नी अधिनियम 1058 की धारा 19 के अंतर्गत में प्रस्तुत किन्हे गए पत्र, जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. 1058 के संबंध में प्रस्तुत किन्हे गए तदनुसार है, की प्रमाणित प्रति है।

04-9-2018
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर
212 4/9/18
रजिस्ट्रार, संस्थाएं नागौर

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखाट (नागौर)
05/05/2021
अध्यक्ष



भारत सरकार
Government of India

कार्यालय
Office of the
आयकर आयुक्त-द्वितीय
Commissioner of Income Tax-II

"आयकर भवन", पावटा 'सी' रोड, जोधपुर-342010
Aaykar Bhawan Paota 'C' Road, Jodhpur-342010

0291-2543601, 0291-2548865

क्रमांक: आ.आ-11/जो/12A/2014-15/ 832

दिनांक : 07.08.2014

To,

The President /Secretary,
Satguru Kabeer Ashram Sewa Sansthan,
Badi Khatu, Distt.- Nagaur (Raj.)

Subject: Your application for registration u/s 12A & 80G of the I.T. Act-Reg.

Please refer to your application received in this office on 02.05.2014 on the subject cited above.

2. in this connection, I am directed to inform you that your case has been fixed for hearing before the worthy Commissioner of Income Tax-II, Aayakar Bhawan, Lal Maidan, Paota 'C' Road, Jodhpur on 09.09.2014 at 11:30 AM. You are requested to attend the hearing in person or through your authorized representative on the abovementioned date and furnish the following information/ details/documents:

- (i) Certified copy of the Trust deed or the instrument under which the trust or institution was set up.
- (ii) Copy of the accounts of the trust or institution of last three years.
- (iii) Copies of returns of income filed and assessment order u/s 143(1)/143(3)/148 etc. for last three years.
- (iv) Notes on charitable activities carried out by the trust in last three years along with the supporting evidences.
- (v) Produce the books of accounts/documents, audit report, audited books and P&L A/c maintained by the trust, proper vouchers of receipt and payments and income and expenditure account, TDS deducted by the trust/institution under various heads, if any during the previous three years.
- (vi) Complete details of donation received by the trust during the previous three years along with the receipt vouchers.
- (vii) List of members of the trust along with complete address, occupation, PAN, telephone no, mobile no etc.
- (viii) Registration Certificate of the trust under India Trust Act,1882/Rajasthan Trust Act,1959/Societies Act or under any government body/agency, if any.

3. You are requested to note that in case of non-compliance, your application will be disposed of on merits.

(पी. एम. कर्वे)

सहायक आयकर आयुक्त (सु.)
कृते आयकर आयुक्त-द्वितीय
जोधपुर

सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान
बड़ीखाटू (नागौर)